

संगठनों के प्रतिनिधि लाभिल हैं ने जन सहयोग में राष्ट्रीय वार्षिक सुक्षम किये हैं। समिति विकास कार्यकर्ताओं में जनता का आगीबादी की समस्याओं पर विचार करने के लिए वादविवाद के स्थान के रूप में भी कार्य करती है। जो मुख्य योजनाएं हाथ में ली गई हैं वे हैं :-

- (1) सोक कार्य केव (शहरी तथा प्राय)
- (2) योजना में इच्छा पैदा करने के लिए विद्यविद्यालयों और कालेजों में योजनागोचित्य ।

(3) जन महयोग में अनुभावन तथा आगंदर्शी परियोजनाओं का गठन ।

(4) गार्ड्रीय उपर्योगना सेवा; और

(5) शंखाणिक कार्य ।

(6) प्रश्न नहीं उड़ा ।

परिवार नियोजन

1938. धी क० लि० भवुकर : वया स्वास्थ्य तथा वरिवार नियोजन मंत्री यह बनाने की हुया करेंगे कि :

(क) वया गर्भपात के बारे में कोई कानून बनाने से पहले इय बारे में अपेक्षित सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक पहलुओं पर विशेषज्ञों की राय मांगी गई है, और

(ख) यदि हाँ, तो उपका व्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा वरिवार नियोजन मंत्री (दा० धृष्टित अमृश्वर : (क) और (ख)). गर्भपात के कानून वो उदार बनाने का प्रश्न भहाराट के जन-स्वास्थ्य, विधि एवं न्यायपालिका के अन्तर्गत मंत्री श्री शांतिलाल शाह की अध्यक्षता में स्पष्टित एक समिति को भेजा गया था। इस समिति ने विभिन्न व्यक्तियों को एक बहुमतसी भेजी थी, जिनमें और नोंगों के अलावा, विकिरसा, सामाजिक कानूनी, राजनीतिक तथा नैतिक लोगों के विदेशी भी

मामिल हैं। इन सभी विशेषज्ञों द्वारा प्रकट की गई रादों पर उचित विचार करने के बाद, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसे जल्दी ही भाषा-पट्टन पर रक्ख दिया जायेगा। इस समिति की सिफारिशों पहले ही भाषा-पट्टन पर रखी जा चकी है।

भाताटिला बांध से विज्ञापन

1939. धी : भाषा-पट्टन अहिरवार : वया सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की हुया करेंगे कि :

(क) वया मध्य प्रदेश को भाताटिला परियोजना से विज्ञापी देने के प्रश्न पर सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब और उसके द्वारा परियोजना निकले हैं ?

तिंचाई और विद्युत मंत्री (दा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). भाताटिला परियोजना से मध्य प्रदेश को विज्ञापी सिंचाई करने के विषय पर केन्द्रीय सरकार ने उन्नर प्रदेश सरकार से हाल ही में कोई बातचीत नहीं की है।

दोनों राज्य सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुमान भाताटिला से मध्य प्रदेश को आपम में तथ किये गये नूत्र्य पर लगभग 2.5 मीलावाट विज्ञापी दो जायेगी। इसमें से उत्तर प्रदेश 11 अप्रैल, 1965 से लगभग एक मीलावाट विज्ञापी मध्य प्रदेश को जांसी से दे रहा है। मध्य प्रदेश ने इच्छा प्रकट की है कि उन्हें भाताटिला की विज्ञापी चार स्थानों अवांत भाताटिला, जांसी, शीरानीपुर और बांदा से दी जाये। भाताटिला के धनिरिक्त किसी अन्य स्थान से विज्ञापी देने के प्रस्ताव से विज्ञापी के पारेख पर धनिरिक्त व्यय होने का प्रश्न उठ जाता हुआ है जिस पर इस मध्य दोनों राज्य विज्ञापी दोडों के बीच बातचीत हो रही है।